

**OFFICE OF PRINCIPAL LATE SHRI JAIDEV SATPATHI GOVT. COLLEGE BASNA,
DIST.- MAHASMUND (C.G.)**

Email- govtcollege.basana@gmail.com, Phone - 07724 246722

Regarding Number of students admitted from the Reserved category from (2015-16 to 2019-20)

2.1.2 Average percentage of seats filled against seats reserved for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc. as per applicable reservation policy) during the last five years (exclusive of supernumerary seats) (20)

Year	Number of seats earmarked for reserved category as per						Number of students admitted from the reserved					
	SC	ST	OBC	Gen	Divyangjan PWD,FF,	Others	SC	ST	OBC	Gen	Divyangjan PWD,FF	Others
2015-16	126	336	147	410	31	0	72	164	530	68	0	0
2016-17	133	355	155	434	33	0	74	177	546	65	0	0
2017-18	133	355	155	434	33	0	70	160	600	80	0	0
2018-19	144	384	168	408	96	0	92	184	612	78	0	0
2019-20	144	384	168	408	96	0	119	229	658	87	0	0



प्राचार्य
 श. ली जायेवंदेश्वरी शासकीय
 महाविद्यालय बसना, जि. महासमुद्र (छ.ग.)
 (Signature)

२०.१०.२



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : ०८१-२२६२८०२ (अकादमिक), ०७७१-२२६२५४० (कुलसचिव), फैक्स-०७७१-२२६२८१८, २२६२८०७

५०

क्रमांक : ४०५५ /अका./2015

रायपुर, दिनांक : ८/०७/२०१५

प्रति,

- (1) संचालक/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
- (2) अध्यक्ष,
समस्त अध्ययनशाला,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं अकादमिक कैलेण्डर के संबंध में।

संदर्भ :-
 1. कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा का पत्र क्र. 250/02/आउशि/समन्वय/15 दिनांक 07.07.15
 2. कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा का पत्र क्र. 252/95/आउशि/समन्वय/15 दिनांक 07.07.15

* * *

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के संबंध में सूचित करना है कि सत्र 2015-16 के लिए प्रवेश मार्ग दर्शिका सिद्धांत एवं अकादमिक कैलेण्डर इस पत्र के साथ संलग्न कर, आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर अग्रेषित है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत एवं अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2015-16 विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.prtru.ac.in पर भी सूचनार्थ उपलब्ध है।

संलग्न :- प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत एवं अकादमिक कैलेण्डर
सत्र 2015-16.



कुलसचिव

पृ. क्रमांक : ४०५६ /अका./2015

रायपुर, दिनांक : ८/०७/२०१५

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, लॉक-सी-३०, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्.
3. समस्त विभागीय अधिकारी,
4. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)
८/०७/२०१५

D:\back\shri\HIT R Sahu\T R Sahu General letter 22.docx-942


प्राचार्य
स्व. श्री जयदेव सत्यवती शासकीय
महाविद्यालय बसना, जि. महासमुद्र (छ.ग.)

**कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लाक सी-३०, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन
नया रायपुर (छोगो)**

क्रमांक-२५०/०२/आउशि/समन्वय/१५
प्रति,

नया रायपुर दिनांक ०७/०७/१५

१. कुलसचिव,
सगरत विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़
२. प्राचार्य,
सगरत अग्रणी महाविद्यालय
छत्तीसगढ़।

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र २०१५-१६ हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।

संदर्भ :- अवर सचिव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क. २६३६/२२८२/२०१४/३८-२ रायपुर दिनांक ०४.०७.२०१५

—००—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छोगोशासन, उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र २०१५-१६ हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत २०१५-१६ की प्रति संलग्न कर प्रेपित हैं।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुये, प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत २०१५-१६ में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर

पृ.क्रमांक- २५०/०२/आउशि/समन्वय/१५ नया रायपुर दिनांक ०७/०७/१५
प्रतिलिपि :-

१. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
२. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/अभिकापुर की ओर सूचनार्थ।

प्राचार्य
न्य. श्री जगदेव सतपथी शासकीय
महाविद्यालय यसना, जि. महाराष्ट्र (छ.ग.)

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर

१०४२/२२८२/२०१४
महानदी भवन, नया रायपुर
५२०००८
३८

J.D.C.

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक २६३६ / २२८२ / २०१४ / ३८-२
प्रति.

रायपुर, दिनांक ०५ / ०७ / २०१५

✓ आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ०ग०)

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2015-16 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।

— ०० —

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2015-16 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

२/ निर्देशानुसार सूचित है कि प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर. की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

१०४२/१०७
(श्रीमती दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव

१०४२ छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक / ०७ / २०१५

पृष्ठ / २२८२ / २०१४ / ३८-२

प्रतिलिपि :-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
की ओर सूचनार्थ।
- आदेश फॉल्डर।

अवर सचिव
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

प्रधाय
स्व. श्री जयदेव सतपथी शासकीय
महाविद्यालय शासना, जिम महासमुद्र (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश
के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत
सत्र 2015–2016

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। “प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम समेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर विना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जायें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 5 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक “क” ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान “ब” में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक “ख” ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी

*प्राचार्य
एवं उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालय द्वारा। जि. महाविद्यालय द्वारा।*

(ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः आब प्रवेश के लिए निर्धारित अंति-
तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ए) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- 2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिग तिथि निर्धारित करना :-
विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी रथान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य नहाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बड़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित भापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेवशन (अधिकतम 4 सेवशन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।


4. प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।


प्राचार्य

स्व. श्री जयदेव सत्यरथी शासकीय
महाविद्यालय बसना, जि. नहासमुद्द (छ.ग.)

- 4.4 घोषित प्रवेश रूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद रथान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय गद में अंतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाए। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटरथ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संरक्षा से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल रथानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य रथानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार “राज्य शासन, एतद द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।” का पालन किया जाए।
5. प्रवेश की पात्रता :-
- 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-
- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य द्वारा केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काशीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के भान्यता प्राप्त वोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।
- 5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-
- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं


 प्राचार्य
 स्व. श्री जयदेव सतपथी शासकीय
 महाविद्यालय बसना, जि. महासमुद्र (छ.ग.)

दिया जायेगा। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश की पात्रता होगी।

- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अहंकारी विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है;
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।


प्राचार्य

स्व.श्री जयदेव सतपथी शासकीय
महाविद्यालय बसना, जि.महाराष्ट्र(प.ग.)

6. समकक्ष परीक्षा :-

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष नान्य हैं। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो गारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समर्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक रत्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक
1-52 / 2013(सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –

‘जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्गमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण-पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन एवं संस्कृति विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके

प्राचार्य
स्व. श्री उच्चतम सत्परी शासकीयिकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा
प्राप्ति दिलासा दर्शन, विष. महाविद्युत (छ.प.)

पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"


7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :—

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जाये। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा जिसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :—
 - 8.1 10+2 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
 - 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
 - 8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
 - 8.4 उपरोक्त कड़िका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।
- 9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :-
- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनहीं नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रगाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/शैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-
- (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वद्वंद्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।
 - (ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/ कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशासित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशासित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
 - (ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है;
 - (घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
 - (ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/निःशक्त अभ्यर्थी/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।



प्राचार्य

स्व. श्री जयवेव सतपथी शासकीय
महाविद्यालय बसना, जि. महासमुद्र(छ.ग.)

- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-
- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।
- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
 - (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।
11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-
- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के कमानुसार रहेगा।
- 11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों का प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।
- 11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

प्राचार्य
स्व.श्री जगद्वेष सतपथी शासकीय
महाविद्यालय वरसना, जि. महाराष्ट्र (छ.ग.)

12. आरक्षण—छत्तीरागढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-
- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संख्या में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :-
- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुदाप संख्या में से **वर्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।**
 - (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुदाप संख्या में से **वारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।**
 - (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुदाप संख्या में से **धोदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।**
- परन्तु, **जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।**
- परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इस अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।
- 12.2 (1) यिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
 (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दलों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह यिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 **स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।** निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्ताकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का समिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।
- 12.4 सभी वर्गों में **उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।**
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रमाणित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे— स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।
- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत $1/2$ से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, $1/2$ प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होंगी।
- 12.7 जम्मू—कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए, तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।



प्राध्यापक
रव. श्री जयंत सत्यमौ शासकीय
बहाविद्यालय दस्तावेज़, जिला महासभा (उ.प.)

- 12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400 / 2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अर्थारिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) गे यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।
- 13 अधिभार :—
- अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अहकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों एवं अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।
- 13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स
- स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेञ्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।
- | | |
|--|------------|
| (क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट | 02 प्रतिशत |
| (ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट
या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 03 प्रतिशत |
| (ग) "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 04 प्रतिशत |
| (घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता
में युप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को | 04 प्रतिशत |
| (च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़
के एन.सी.सी./एन.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने
वाले विद्यार्थी को | 05 प्रतिशत |
| (छ) राज्यपाल स्काउट्स | 05 प्रतिशत |
| (ज) राष्ट्रपति स्काउट्स | 10 प्रतिशत |
| (झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केंडेट | 10 प्रतिशत |
| (य) ड्यूक ऑफ ऐडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केंडेट | 10 प्रतिशत |
| (र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेज प्रोग्राम में
भाग लेने वाले कैंडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए
चयनित एवं प्रवास करने वाले कैंडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय
जम्मूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को | 15 प्रतिशत |
| 13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर
कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर | 10 प्रतिशत |

प्राधार्य
स्व. श्री जयदेव सत्यपथी शासकीय
महाशिक्षालय बसना, जि. महासपुत्र (छ.ग.)

13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / किंवज / रूपांकन प्रतियोगिताएँ :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कांडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तरक्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा मारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत

(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्वरल एक्सचेज प्रोग्राम के तहत विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी. / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड / एशियाड / रॉर्टेस अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में


प्राधिकारी

स्व. श्री जयदेव सतपथी शासकीय
महाविद्यालय घरना, जि. महासमुद्र (छ.ग.)

भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-


- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्राप्ति किया गया हो, एवं
 - (2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र रनातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।
- 14 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-
स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।
- 15 शोध छात्र :-
शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह के कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

प्राचार्य
स्व. श्री जयदेव सतपथी शासकीय
महाविद्यालय यसना. जि. महासम्नुद (छ.ग.)

16 विशेष :-

- 16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानवूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में 'मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेपित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।


(डॉ. ए.के.पाण्डेय)

दिशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)


(डॉ.आर.बी.सुब्रमनियम)

अपर सचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)


प्राधीन
स्व. श्री जयदेव सतपथी शासकीय
महाविद्यालयसना, जि. महासगुन्द (छ.ग.)

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक-सी-३ द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती मवन,
नया रायपुर(छ.ग.)

क्रमांक / १७७९ / ३९६
प्रति.

—००—
आउशि / समन्वय / 2018

नया रायपुर, दिनांक ६ / ०६ / 2018

- कुल सचिव,
समरत विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़।
- प्राचार्य,
समरत अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये रात्र 2018-19 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।

संदर्भ :- अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ १७-९५ / २०१७ / ३८-२ नया रायपुर, दिनांक ०२.०६.२०१८

—००—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2018-19 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2018-19 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समरत शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2018-19 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

पु.क्रमांक / / / आउशि / समन्वय / 2018

नया रायपुर, दिनांक / ०६ / २०१८

प्रतिलिपि :-

- अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/ विलासपुर/ जगदलपुर/ अंविकापुर / दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

प्रधान

म.श.वी.च.देव सत्पथी शासकीय
महाविद्यालय व बसना. वि.महासमुद्देश (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

**छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश
के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत**

सत्र 2018-2019

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समर्त प्रगाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व रांथा के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर यिन अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य रखयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश करनी समर्पयथा। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान 'ब' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है। रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक 'ख' ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी

महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के रथान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, रथान (ब) के किरणी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य रांकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी रथान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेपित करें तथा “उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।”

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में वार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेवशन (अधिकतम 4 सेवशन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय हैं, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक राहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को गूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की भूल प्रति जगा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर “प्रवेश दिया गया” की सोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।


प्राचार्य
स्व. श्री जगद्देव सतपदी शासकीय
महाविद्यालयकालान्तरण, जि. महासन्तुष्ट (छ.ग.)

निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की भूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद रथान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 रथानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। रथानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटरथ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संरथा से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल रथानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य रथानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि रांबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार “राज्य शासन, एतद् द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् रनातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक रत्न 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।” का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शारकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी रथान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु धार्णिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.री (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) धी.कॉम./धी.एस.री. (गृह विज्ञान)/धी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम./एम.एस.री. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अहंकारी विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी/एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-
1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इरी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%) होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वापूर्व में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति /ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को विधि स्नातक सतप्ती शासकीय नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

*प्रावधिक
स्नातकोत्तर सतप्ती शासकीय
नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।*

६.६ AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संरथा के प्रावधान प्रभावी होंगे।

६ समकक्ष परीक्षा :-

- ६.१ सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कॉसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- ६.२ सामान्यतः भारत में रिथत विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संरथा को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- ६.३ सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- ६.४ वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में रनातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013(सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

‘जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अहंता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अहंता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समरत महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्गमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 रत्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें रत्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं रत्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को इन्हीं व्यावसायिक संस्कृति/समर्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के रत्तर 4

के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 रत्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः गेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में रागतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षेत्रिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 स्नातक रत्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक रत्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक रत्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निररत करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यार्थी आवेदकों को रथान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुगति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-

- 8.1 10+2 तथा स्नातक रत्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में रथान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।


प्राचार्य
Dr. Jayadev Satpathy शासकीय
महाविद्यालय बसना, जि. महासमुन्न (छ.ग.)



विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

- 8.4 उपरोक्त कड़िका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश रबतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9 प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-


- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सब्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल रथानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सब्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी रुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और गहाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किरी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

- (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वद्वारा/प्रथम रोमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की रिति में की जायेगी। डिस्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिस्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा रामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।
- (ख) आयु सीमा का वंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशासित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशासित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- (ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

प्राचार्य
स्व. श्री जयदेव सतपथी शासकीय
महाविद्यालयसना, जि. महासमुद्र(छ.ग.)

- (घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अस्थर्थी/आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय रोवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-
- 10.1 उपलब्ध रथानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।
- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
- (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।
11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-
- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्थायी उत्तीर्ण छात्रों के कमानुसार रहेगा।
- 11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्थायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाये, अन्य कम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के रथान अथवा उसके निवास रथान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपरथ रथानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विवार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्रावार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपरथ रथानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जाये आवेदक के निवास रथान/तहसील/जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपरथ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के


 प्रावार्य
 स्व. श्री जयदेव सतपथी शासकीय
 महाविद्यालय अध्यक्ष, जि. महासमुद्र (छ.ग.)
१५

- अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुकम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुकम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रदेश की पात्रता होगी।
- 11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान रवशारी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किंतु एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की रिक्ति में ही दिया जा सकेगा।
12. आरक्षण—छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :—
- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक रात्रि में प्रवेश में रीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक रात्रि में इसका विरतार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :—
- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से वहीं प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
 - (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से वार्षिक प्रतिशत सीटें अनुरूपित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
 - (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से वीद्वत् प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- परन्तु, जहाँ अनुरूपित जनजातियों के लिए आरक्षित रीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।
- परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तुक में निर्दिष्ट व्यवरथा के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित रीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।
- 12.2 (1) विन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध रीटों का आरक्षण उद्धार्धर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
- (2) निःशक्त व्यक्तियों, गहिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों / भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों था व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रिक आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह विन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उद्धार्धर आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।
- 12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध रथानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन कार्यालयीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की रीट यथावत् अप्रगति रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे— स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि

स्व.श्री जयदेव सतपंथी शासकाय
महाविद्यालयबहसना,जि.महासमुच्च(छ.ग.)

का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत् एवं एक प्रतिशत् के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 जम्मू-कश्मीर विरथापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत् तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400 / 2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि – "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." को कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अहंकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समरत प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् याद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रगाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जाये।

- | | |
|---|------------|
| (क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट | 02 प्रतिशत |
| (ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट
या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 03 प्रतिशत |
| (ग) 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 04 प्रतिशत |
| (घ) राज्य स्तरीय रांचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता
में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को | 04 प्रतिशत |
| (च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़
के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिंजोन्स में भाग लेने
वाले विद्यार्थी को | 05 प्रतिशत |
| (छ) राज्यपाल स्काउट्स | 05 प्रतिशत |
| (ज) राष्ट्रपति स्काउट्स | 10 प्रतिशत |
| (झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट | 10 प्रतिशत |
| (य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट | 10 प्रतिशत |


प्राप्तार्थी

स्व. नं. ४३८८८८ सत्यपाली शासकीय
महाविद्यालय बसना, जि. महाराष्ट्र (छ)



(२)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत
13.2	आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उर्सी विषय में प्रवेश लेने पर	10 प्रतिशत
13.3	खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विज्ञ / रूपांकन प्रतियोगिताएँ :- (१) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत (२) उपर्युक्त कांडिका 13.3 (१) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्राज्य राज्य रत्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्राज्य राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत (ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत (३) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत 13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्वरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत	
13.5	छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :- (क) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत	

प्राधान्य
म.सी.बी. जनरल सतपथी शासकीय
महाराजालक्ष्मीनाथ, जि.महाराजालक्ष्मी(च.ग.)

13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को

13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/रपोर्टर्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में रीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को सचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रापणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्ध पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अहकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से गुरुव्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15 शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदरथ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की

कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र रथानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16 विशेष :-

- 16.1 जाती प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानवृज्ञकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में घण्टित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कारित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कारण किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में 'मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप य अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

(डॉ. किरण गोजपाल)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नया रायपुर (छ.ग.)

प्राचार्य
स्व.सी.जटेव सत्पथी शासकीय
महाविद्यालयसना.वि.महाराष्ट्र(छ.ग.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कूलसचिव), E-mail ID- academicprsu2@gmail.com

क्रमांक : ३९५ /अका./2019

रायपुर, दिनांक : २९/०५/२०१९

प्रति,

- (1) संचालक/प्राचार्य,
समरत सम्बद्ध महाविद्यालय,
- (2) अध्यक्ष,
समरत अध्ययनशाला,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषय : शैक्षणिक सत्र 2019-20 का अकादमिक कैलेण्डर एवं प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत बाबत्।

संदर्भ : (1) आयुक्त उच्च शिक्षा का पत्र क्र. 2468/886/आउशि/सम/2019 दिनांक 24.05.2019.
(2) आयुक्त उच्च शिक्षा का पत्र क्र. 2470/887/आउशि/समन्वय/2019 दिनांक 24.05.2019.

=0 0=

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में सूचित करना है कि, शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए अकादमिक कैलेण्डर एवं प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत इस पत्र के साथ संलग्न कर, आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर अग्रेषित है। अकादमिक कैलेण्डर एवं प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत सत्र 2019-20 विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.prssu.ac.in > academic notice पर भी सूचनार्थ उपलब्ध है।

संलग्न : अकादमिक कैलेण्डर एवं प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत सत्र 2019-20.

29.5.19
कूलसचिव

पृ. क्रमांक : ३९६ /अका./2019

रायपुर, दिनांक २९/०५/२०१९

प्रतिलिपि :

01. माननीय राज्यपाल एवं कूलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर
02. सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर
03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग महानदी भवन मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर
04. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर
05. समस्त विभागीय अधिकारी,
06. कुलपति के सचिव/कूलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

29.5.19
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

प्राचार्य

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
कूलसचिव
महानदी भवन
रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक-सी-३ द्वितीय एवं तृतीय तल इन्ड्रवती भवन,
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

—00—

कमांक/२५७०/ ४४८ /आउशि/ समन्वय/ 2019
प्रति,

अटल नगर रायपुर, दिनांक २५/०५/२०१९

1. कुल सचिव,
समरत विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
समरत अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :-
संदर्भ :-

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।
अबर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ 17-95/ 2017/ 38-2 अटल
नगर रायपुर, दिनांक 24.05.2019

—00—
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा
छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं।
प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2019-20 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनरथ समरत शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की
छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2019-20 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन
करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय,

अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

अटल नगर रायपुर, दिनांक २५/०५/२०१९

पृष्ठकमांक/२५७०/ ४४८ /आउशि/ समन्वय/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. अबर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/ विलासपुर/ जगदलपुर/
अंविकापुर / दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

८० (A/c)
१००३/१११-१२१/२०१८-१९
२७/५/२०१९
४५ दि. २०२२-२०१९
२८/५/१९

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

प्राचार्य
तथा श्री उच्च शिक्षा संस्थानी शासकीय
महाविद्यालय बाबसना, जिं. बहासमुद्देश (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालयः
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर
-----00-----

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 27/5/2019
प्रति,

आसूपत्ति,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने वाले।
संदर्भ:- आपका प्रस्ताव जावक क्रमांक 1077 दिनांक 06.05.2019
-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।
2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अतार्पत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति सलग्न प्रेषित है।


कृपया सभी रायधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कडाई रो पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(श्रविन्द्र गढेकर)
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
पृ क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 अटल नगर रायपुर, दिनांक / / 2018
प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.। की ओर सूचनार्थ अग्रेपित।
- गार्ड फाईल।


अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग


प्राचाय
स्व. श्री जयदेव सतपथी शासकीय
महाविद्यालय बसना, जि. महासमुद्र(छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शारकीय/अशारकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए गार्डर्सक नियम

सत्र 2019-20

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मानदंडक नियम छत्तीसगढ़ के सभी शारकीय/अशारकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सम्बन्धित करने हुए लागू होंगे तथा राजत प्रावार्य इनका पालन रुग्णिरित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के लिये उन को शारकीय तथा अशारकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना चाहिए। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अलवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-


आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रावार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, राजत प्रमाण पत्र या सामेन निर्धारित विनाक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्रावार्य द्वारा दृष्टिकोण संबल पर कम से कम सात दिन पूर्व जारी होयी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अक्षरता प्रदान न किया जाने की विधि न पूर्व संस्था के संबंधित प्रावार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर विना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानान्तरण प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्रावार्य तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्रावार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवार्य की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन का अवधि नियमित/वार्षिक द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन का अवधि द्वारा घोषित होने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर प्रवेश का अंतिम तिथि के बाद प्रवेश वाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर भी सत्र के द्वारा प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य नियमित/वार्षिक में प्रवेश होने की विधि में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :

आवेदक को ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश


किया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानान्तरण स्थान "ब" में हो गया, इस-स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जाना चाहिए। अतएव अवधि "सत्र" में स्नातक कक्षा में उसे उपर्युक्त कार्यभार करने की विधि में

महाविद्यालय में प्रवेश नहीं किया किन्तु पालक के स्थान (द) पर स्थानान्तरण होता ही स्थान-
प्रवेश किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम
तिथि निकल लाने के बाद आवेदक (ए) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- 2.3 पुनर्गूल्याकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
पुनर्गूल्याकन के उत्तीर्ण छात्रों के पुनर्गूल्याकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्गूल्याकन के
पुनर्गूल्याकन के अंतिम तिथि के 15 दिन तक सर्वाधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के
पासकाल मुण्डुकम् में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में
पुनर्गूल्याकन के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही
प्रवेश किया जायगा। 12 वीं शिक्षा में पुनर्गूल्याकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त
होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3 प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध संधानों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध
उपकरण - अध्याय सामग्री एवं रटाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई¹
अनुसार संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा।
यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में रोट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल
तक अपना प्ररत्ना लक्ष्य, शिक्षा रागालनालय को प्रेषित करें तथा “उच्च शिक्षा रांचालनालय
के अनुसार प्रवेश संख्या का अनुगमित प्राप्त होने पर ही बढ़ हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की
कार्यवाही करा”

- 3.2 किसी स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौशिल द्वारा निर्धारित
मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति संक्षण (अधिकतम 4 रोकशन) में
प्रवेश मुण्डुकम् के आधार पर दिया जावे। साथेक विश्वविद्यालय/सनातनी महाविद्यालय द्वारा
प्रवेश कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य
अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार
उपलब्ध कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4 प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने को निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु
नियमित विद्यार्थियों की अंकीकरण परीक्षा में प्राप्तांकों एवं उन्हीं अधिभार देय है, वहाँ अधिभार
के लिए कुनै प्राप्तांकों की मुण्डुकम् सूची, प्रतिशत अंक राहित, सूचना पटल पर लगाई
जायेगी।

प्रवेश संगति द्वारा आवश्यक रागालन पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से गिलान का
प्रमाणित किया जाने एवं स्थानान्तरण प्रगाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश
प्रमाणित किया जाने एवं स्थानान्तरण प्रगाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश
नियमित विद्यार्थियों की अंकीति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानान्तरण प्रमाण-प-
त्र पर प्रवेश दिया गया की गाहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

- ४३ मेधारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की गूल प्रति को निरस्त की तीव्र लगाकर अग्रिमर्थ रुद्र से निरस्त कर दिया जाये।
- ४४ छान्ति प्रवेश रूपी की शुल्क जमा करने की आंतिग रिशि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी छान्ति में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपय 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से नामुदा जायेगा। अनुप्रिय ऐसे प्रवरणों में ३१ जलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायगी।
- ४५ स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्राप्ति (दुखीकर्त) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानान्तरण प्रमाण पत्र ज्ञाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एक आई-आर दब्लू किया जायें। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूछे प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें गूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमानुक्रम एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त दिन की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस छेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- ४६ नहानियालय के प्राचार्य स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से रविधित मोफनीय रिपार्ट जारी करने कि सर्वधित छात्र शैमेय/अनुशासनीयता/वोडफोड आदि में सलेहा है या नहीं। ऐसे मोफनीय रिपार्ट को रोलकार लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य का प्राप्त करें। जहाँ कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए जागेदन किया है।
- ४७ छत्तीसगढ़ राज्य उच्च शिक्षा विभाग के जावेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार "राज्य शासन एवं द्वारा शारकीय गठाविद्यालयों में अध्ययनान्तर स्थानक स्थान की नियमानुसार की शैक्षणिक रात्र 2014-15 से शाम शुल्क से छूट प्रदान करता है।" का घोषना किया जाए।
- ५ प्रवेश की पात्रता :-
- ५.१ निवारी एवं अईकारी परीक्षा :-
- छत्तीसगढ़ के गूल/स्थानीय छत्तीसगढ़ में साथी संपत्तिवारी निवारी/साड़ी या केन्द्र सरकार के शारकीय कर्मवारी, अर्धशारकीय कर्मवारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मवारी, सार्टीफिकैट बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यापराधिक समाजनों के कर्मवारी विनियोग पत्रकों छत्तीसगढ़ में हैं उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जमू काशीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शारकीय गठाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपर्युक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त वाडे एवं जहांनारी परीक्षा लियीं जानेकों को नियमानुसार युग्मानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
 - सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से ज्ञानीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही गठाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता हासिल।
 - आवश्यकतानुसार रावधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।


प्राप्तव
द्वारा दिया गया अनुमति
द्वारा दिया गया अनुमति
द्वारा दिया गया अनुमति
द्वारा दिया गया अनुमति

53. स्नातक रत्नर नियमित प्रवेश :-

(३) १०८२ परीक्षा उत्तीर्ण आयोदको को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की भुवनी। भूवनी वर्ष में और उन्होंना संकाय के आयोदको का जिज्ञासन संकाय में प्रवेश नियम प्रथम वर्ष में एक सी (एक विकास) प्रथम वर्ष में किरणी भी संकाय से उत्तीर्ण होने प्रवेश की अनुमति होगी।

(४) स्नातक रत्नर के विषय भूवनी वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आयोदको को उन्होंनी विषयों विषय भूवनी वर्ष की नियमित प्रथम वर्ष की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय रत्नर विषय भूवनी वर्ष की पात्रता नहीं होगी।

54. स्नातकोत्तर रत्नर नियमित प्रवेश :-

(३) वीकास वीएस रीड (एच विकास) / वीए स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आयोदको को क्रमान्वय एवं एस एस रीड (एच विकास) / एमए-पूर्व / प्रथम सेमेस्टर एवं अहंकारी विषय को वीएस रीड उत्तीर्ण आयोदको को एमएसएस रीड / एमए-पूर्व में नियमित प्रवेश की अनुमति होगी।

(४) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आयोदको को उसी विषय के स्नातकोत्तर भूवनी वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पढ़ावे की पूर्व अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आयोदको को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(५) स्नातकोत्तर क्षमता भूवनी वर्ष की (Allowed To Keep Terms) नियम :-

१. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आयोदकों के प्रथम के लिए नियमित ओप्रेम विषय के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

२. स्नातकोत्तर भूवनी वर्ष में पुराने की (Allowed To Keep Terms) नियमों अनुसार पात्र आयोदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

55. विषय संकाय नियमित प्रवेश :-

(३) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आयोदको को विषय स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की अनुमति होगी।

(४) वीए स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आयोदको को एलएलएम प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की अनुमति होगी।

(५) एलएलवी प्रथम सेमेस्टर एवं एलएलएम प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आयोदको के एलएलवी विषय सेमेस्टर एवं एलएलएम द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होनी विषय प्रकार भूवनी वर्ष की प्रथम सेमेस्टर में जी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगी।

56. प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

विषय स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति) / अन्यसूचित जाति हेतु 40%) होगी। तथा विषय स्नातकोत्तर पूर्वाद्वि में 55% (अन्यसूचित जनजाति / अन्यसूचित जाति / ओ.वी.सी. हेतु 50%) प्राप्त आयोदकों को

MCI-NCH BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमति देने का नियम पर संबंधित संस्था के प्रावक्तन प्रमाणी होगे।

६ रामकृष्ण परीक्षा :-

- ६.१ रामकृष्ण परीक्षा संस्कारण एनुकूलग (रोडीएराई) इंडियन कॉसिल फार सेकेण्टरी एजेंट्स (डीएसीपीएसई) द्वारा आया राज्यों के विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई नियमित रामकृष्ण परीक्षा का वृत्ति वाला बोर्ड की १०४२ परीक्षा के रागतका मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्ड की बोर्ड उचित विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- ६.२ विश्वविद्यालय द्वारा उत्तरित विश्वविद्यालय संघ (एत्तराराष्ट्रीय ऑफ इंडियन एजेंट्स) के संनाय के तरफ़ सार्वत्र परीक्षा उत्तीरण द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षा के रामकृष्ण मान्य है। ऐसी विश्वविद्यालय (IGNOU के छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम रखता है उसकी द्वितीय संग्रहीय रामकृष्ण से अनुगति प्राप्त नहीं है, तो परीक्षाए गान्य नहीं है। विश्वविद्यालय नामित नियमों द्वारा विश्वविद्यालय उत्तीरण उत्तीरण द्वारा राज्य के बाहर के किसी भी दूरवर्ती पाठ्यक्रम शक्तिगत रामकृष्ण के उत्तीरण द्वारा राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कॉम्पस को भवित्व में आवंशिक छोड़कर इसकी को प्रवेश देने/उमिया देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी रामकृष्ण राज्यों/उत्तराधिकारी विद्यालय रूप से मान्य नहीं होगा।
- ६.३ द्वितीय प्राचार्यान्वय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का उत्कृष्ट संस्थाओं की रूपी एवं उत्तीरण अनुगम द्वारा समय समय पर आयोगी या अधिकारी अन्वयालय में उत्कृष्ट विश्वविद्यालय या उत्कृष्ट संस्थाएँ जिनकी उपाधि मान्य नहीं हैं, की जानकारी प्राचार्य रामकृष्ण विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- ६.४ २०१२ में ग्राहक नियंत्रित क्षमता एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) में आयोग उत्तरी आस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय एवं विद्यालय में रामकृष्ण द्वारा उत्कृष्टता में वर्तमान के नियंत्रित अन्य रामकृष्ण नियमों की दुलारा में समकूल व्याख्यानिकता प्रदान की जाए।

भारतीयान्वय अनुगम आयोग के अत्तराराजीय पत्र क्रमांक

१-६२-२०१३(रोडीएराई) अप्रैल, २०१४ के अनुसार

लान्तर १४ अप्रैल अवृत्ति का आयोग का बिंदुमा द्वारा अधिरूपित रामकृष्ण विश्वविद्यालय द्वारा उत्कृष्ट (एत्तराराजीय) में आयोग रामकृष्ण विश्वविद्यालय द्वारा रामकृष्ण विश्वविद्यालय द्वारा उत्कृष्ट (एनवीईक्यूएफ) में उत्कृष्ट किये गये रामकृष्ण गहुत्वापूर्ण द्वया द्वारा उत्कृष्ट किया गया है। अतः इस एनवीईक्यूएफ में उत्कृष्ट किया गया है कि यह १ से १० वर्ष वाले के प्रयोग पर उपलब्ध करता है। उनमें उत्तर ५ से उत्तर १० वाले के प्रयोग पर उपलब्ध करता है एवं उत्तर १ से उत्तर ५ वर्ष के तक के प्रयोग पर उत्कृष्ट उत्तरी विद्या के द्वेष से रामकृष्ण विश्वविद्यालय द्वारा २०१२ में प्राचार्य उत्कृष्ट या एनवीईक्यूएफ के अनुराजण में वृद्धि उत्कृष्ट दोस्री द्वारा उत्कृष्ट यादृच्छिक प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को

प्राचार्य

प्राचार्य
रामकृष्ण विश्वविद्यालय

मुख्य प्रबन्ध विभाग, दिल्ली ११०००५

२०१४

के कानून द्वारा अधिक 10/12 शिला को कर्म 2014 के राफल कर पायेगा। मानव संराज भवन में विद्यालय, भारत सरकार ने आशका जाताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं विद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिन विद्यालयों के विषय में उन अलगावकारी विधानों में होंगे। अब ये आप अपनी दृष्टि के लिए भिन्न राज्य छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं विद्यालय में अन्य किसी विषय के अलगावकारी विधानों के लिए प्रयारा किये जा रहे हों तो उस राज्य ऐसे विषय के लिए स्नातक विषयों में शुल्क में समतुल्य प्राप्तिसंकल्प प्रदान की जायें ताकि उन छात्रों की ओर से विद्यालयको कर्म 10/12 रुपावरार मिल सके।

7 वाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 स्नातक कार्यक्रम कीए./वीकाम/वीएस-सी./वीएच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लाने के लिए विद्यालय के लिए भी विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय एवं प्रथम/द्वितीय वर्ष का अधिकारी अवेदकों को कमश/द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाने वाला परीक्षण के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जाता है। अतः विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जायेगा।
- 7.2 छात्रोंका के बाहर विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय से स्नातक रत्न के प्राप्ति के लिए अन्य विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर पूर्व के राज्य के अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्ति के लिए स्नातक रत्न की प्रथम/द्वितीय वर्ष के अन्य विश्वविद्यालय के लिए द्वारा विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्ति के लिए उन्हें विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाता है।

इसके बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी का अनुमति की जूटी/विद्यालय अधिकारी पाए जाने पर संविधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश से बाहर कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के अवेदकों द्वारा प्रस्तुत विद्यार्थियों का प्रमाणीकरण राज्यविधित दोहरा/विश्वविद्यालय से कराया जाना जाना चाहिए।

- 7.3 निम्न दृष्टि अनुमति प्राप्तिके विषय में विश्वविद्यालय आवेदकों का स्थान नियत होने पर तथा नियमित दृष्टि द्वारा को 30 दिनके लिए नियमित शुल्क लिए गाव विद्यालय की अनुमति प्राप्तार्थी होना दी जा सकती है।

- 8 अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश देना अनिवार्य होगा :-

प्राप्ति 8.1 10/12 विद्यालय स्नातकोत्तर के प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त विद्यार्थी द्वारा अवेदकों को अगली कक्षा में स्थान नियत होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर स्नातकोत्तर प्राप्ति के लिए दृष्टि द्वारा विधायी विषय में पूरक/एली केमी काला विद्यालय के ...

- (iii) सभी क्रमांक, जिनमें कई में नियमित रूपीमें 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले थे भावत अवधि को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता हानी।
- 8.4 अप्रैल के कलंक 7 के दृष्टि 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 भूमि विद्या में अनुशोध छाने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश र नियमित वाचना। उसीने छाने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य नियमित।
9. प्रवेश हेतु आदेशादु :-
- (i) किसी भी गणित्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्र छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। इनके अन्त में पुनः सब से अनावृत कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं होना चाहे वह अन्य किसी कक्षा में प्रवेश हुआ जाने वाला बावजूद उस छात्र युवा स्थानांतरण प्रमाण-पत्र का उपलब्ध न हो। जिससे प्रमाणित हो कि पूरी तरह से उसने प्रवेश नहीं होना दिया है, के आधार पर ; अप्रैल के दृष्टि वाचना दिया जावाए।
- 9.2 निकट नियम व्यायालय में वालान प्रवरुत किया गया हो या व्यायालय में अपराधिक प्रकरा वाले वही परीक्षा में या पूर्व रात्रि में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के रात्रि काले व्यापारों के दौरान के गोपन आरोप हो, वेतावनों के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुए हो ऐसे उस छात्रों का प्रवेश नहीं करने के लिए प्रावाय आधिकृत हो।
- 9.3 नियमित व्यायालय में वालान करने और गणित्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रोगी के जातियों द्वारा अन्याओं का प्रवेश नियमित करने/प्रवेश न करने के लिए प्रावाय अधिकृत हो। जिसके दूर दूर जातियों वाले वह जीव करते हुए जीव व्यापार के आधार पर प्रवेश नियमित हो ऐसे उस छात्रों का उत्तीर्णात् रात्रि के किसी भी शारकीय/अशासकीय व्यापारात् में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-
- (i) सभी क्रमांक वर्ष 22 वर्ष एवं सातकालार पूर्वद्वारा/प्रथम रोमेन्टर में 27 वर्ष से अपेक्षित आयु के आवेदकों का प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की मण्डा आवेदित वर्ष के एक जुलाई की दिनी में की जाएगी। डिलीमा एवं सातकालार डिफ्लोमा में प्रवेश हेतु नियमित अधिकतम आयु रीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।
- (ii) आयु लेने के लिये जिसी वाचन संवार/व्यापत्र सरकार के व्यावाय/कार्यालय द्वारा दिए गए नियमित अस्थायी छात्र प्राप्तीमें वह अनुशासित प्रत्याशीयों भारत सरकार द्वारा अन्याओं द्वारा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशासित विदेश से अव्ययन के दूर दूर गये छात्रों अस्थायी विदेश से अव्ययन के लिए विदेशी युद्धा में पर्मेटरीट पर अप्रैल के दृष्टि वाचन द्वारा पर लागू नहीं होता।
- (iii) भूमि विद्या में प्रवाश हेतु अधिकतम आयु रीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

[Signature]
प्रधान
द्व्य. श्री जयदेव सतपदी शासकीय
गणित्यालयवासना, निमहसन्दूर्य (छ.ग.)

(ii) सारकर महाविद्यालय ने प्रवेश हेतु स्नातक प्रदान दर्जे में 25 वर्ष तथा स्नातकों पर प्रदान कीमतेवर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता दीगई।

(3) विषय संकाय का छोड़कर अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा व महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अन्य आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

95 पुण्यानुक्रम सारांश में अन्य संकाय संवारप कमियाई की उसकी देनिक कार्य की अवधि तभी उल्लिखन सारांशमें भिन्नाभिन्न प्रदान की पात्रता नहीं होगी। देनिक कार्य अधिक प्रदान तभी उल्लिखन सारांशमें भिन्नाभिन्न प्रदान हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता की अनुमति दियाये गए प्रदान करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।

96 अन्य संकाय में समिति उपायि प्राप्त इतने छात्राओं को जिसी अन्य संकायों के रूप में उल्लिखन में भिन्नाभिन्न प्रदान ही माना जायेगा।

10 प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

(i) अन्य संकायों से अधिक आवेदक छोड़े पर प्रवेश भिन्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(ii) स्नातक एवं स्नातकोंतर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिकृत में ती अधिनायक छोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा (iii) अन्य संकाय प्रदान तभी में समिति भिन्नाभिन्न प्रदान में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो जायेगा। इसकी अनुसार द्वारा नियोजित गापदण्डों के अनुसार होगी।

(iv) अन्यान्य एवं आवेदक श्रेणी के लिये अलग गुणानुक्रम दूसरी लेयार की जायेगी।

11 प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

(i) अन्य संकाय स्नातकोंतर भिन्न कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अहंकारी परीक्षा

नियोगित कुलानुसार भिन्नाभिन्न परीक्षाओं, रवाध्यायी उत्तोर्ण छात्रों के कमानुसार रहेगा।

12 स्नातक स्नातकोंतर अलगी कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अहंकारी परीक्षा में उल्लिखन उत्तोर्ण दूसरे प्रदान/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/रवाध्य विद्यार्थी के क्रम में होगा।

13 अन्य संकाय की अलगी कक्षाओं में पूरक छात्रों के फहले उत्तीर्ण परंतु 48 एकीमेट प्राप्त क

माने जाने को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

14 आवेदक द्वारा अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के रथान अथवा उसके नियमित नहीं होने वाले भिन्न के तथा या आरपास के अन्य जिले के रामीपरथ रथानों पर सि

मानी जाने वाले भिन्न के अन्यान्य की सुनिध होने पर एसो आवेदक नियमित विद्यालय में आवेदन विषय समूह के अध्यापन की अनुमति होने पर एसो आवेदक नियमित विद्यालय ने उसे दूसरे विषय/विषय रामूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अनुमति दी जावे जिलों की रीमा से लगे अन्य जिलों के रामीपरथ रथानों के आवेदकों

प्राथमिकता द्वारा प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवारा रथान/तहसील/जिलों में स्थित प्राथमिकता द्वारा प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवारा रथान में आवेदित जिला/जिला अनु


प्राचार्य

स्व. श्री जयदेव सतपथी शासकीय
महाविद्यालय सना. जि. महासकूच (छ.ग.)
महाविद्यालय सना. जि. महासकूच (छ.ग.)
प्राचार्य

सरकार की दुष्कृति नहीं होन पर उन्हे युवान्युक्ति से बदला दिया जावेगा। स्वाम रिक्त रहे हो रखे युवान्युक्ति में आगे चर पुर प्रदेश के छोटों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11. अन्य लोकोंका प्रबोधन सरकारी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय व संस्कृति उद्देश्य उद्दीपन विद्यार्थी को अन्य विषय को सांतोषजनक करना में प्रकोप नहीं होना चाहिए।

12. आरक्षण—छत्तीरागढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 प्रत्येक शोक्षणिक राज्य में प्रतेश में रीटों का आरक्षण तथा विर्गी शोक्षणिक संस्था में इसके विपरीत अन्य राज्यों के लिए उपलब्ध होगा, अर्थात् :

(a) अवयवन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बल्लोरा प्रतिशत
• अनुरूप जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(b) अवयवन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बारह प्रतिशत
राज्य जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगा।

(c) अवयवन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त राज्य में से बादह प्रतिशत
रीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु यह और कि पूर्णांगी परस्तुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी जहाँ खण्ड (क),
(ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित रीटें आवेदन विधियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य
पात्र विद्यार्थियों से ग्राह जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्णांगी परस्तुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी जहाँ खण्ड (क),

(ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित रीटें आवेदन विधियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य
पात्र विद्यार्थियों से ग्राह जाएगा।


12.2 (1) फिर क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध रीटों का आरक्षण
का खण्ड (क) अन्य संघर्षार्थी विधियों पर आवेदन जाएगा।

(2) फिर क. अवित्यों वाहिनी युवान्युक्ति वर्गोंका / युवान्युक्ति रीटोंका रवतंत्रता संग्राम
संघर्षार्थी के वर्चों या व्यवित्यों के अन्य विशेष वर्गों के साथ में दीतिज आरक्षण का
प्रतिशत ऐसा होगा, जोरा कि राज्य सरकार द्वारा रामय-रामय पर इस अधिनियम के
प्रभावों के लिए आधोसूचित किया जाए तथा यह विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख)
तथा (ग) के अधीन यशार्थियों उद्धोधर आरक्षण के मीतर होगा।

12.3 उपलब्ध राज्य सेनानियों के पुत्र पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगे।
निवास वाली के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 राज्य की उपलब्ध राज्यों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 अवित्यों अणी की बोर्ड उपायुक्त अधिक अन्तर्गत पात्रों के कारण अनारक्षित अणी ओपन
कॉलेजोंमें विषयानुसार योरट सूची में इस्ता जाता है, तो आरक्षित अणी का सीटे
विद्यालय अनुसारित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी राज्य जैसे रवतंत्रता संग्राम
संघर्षार्थी आवेदन करता है।


प्रधाय
राज्य
संघर्षार्थी विद्यार्थी
तथा जनजाति विद्यार्थी
संघर्षार्थी विद्यार्थी
संघर्षार्थी विद्यार्थी

तथा जनजाति विद्यार्थी
संघर्षार्थी विद्यार्थी
संघर्षार्थी विद्यार्थी

12. कानूनी संघर्षों की यह सौद उस आरक्षित श्रेणी में गर्मी की जाएगी जो सर्वानुभवी रूप से दर्शाया गया है।
- 12.6 अधिकारी लोकों का प्रतिशत 12% से कम आया है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं है। 12.7 प्रतिशत 4% से ज्येष्ठ प्रतिशत के बीच आये पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी। 12.8 कम से कम 5 प्रतिशत तक रीट बढ़ाव कर प्रवेश किया जाएगा। 12.9 कम से कम 10 प्रतिशत की छह प्रदान की जाएगी। 12.10 सभी दम्भुक शासन द्वारा जीर्ण आरक्षण नियमों का पालन किया जाए। 12.11 केंद्रीय 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्राक्षण गान्धीय उच्च न्यायालय विलासपुर के नियमों का लाभ लेंगे। 12.12 12.1 के विविध कानूनीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण का दायरा नियम (1) 100/2012 नामक लीगल नियमों के अधीन विश्वविद्यालय और सरकार एवं अन्य संस्थाएँ द्वारा 15.03.2014 की तिथि 129(3) में यह नियम किया गया है कि – “the Central and the State Government to take Steps to treat them as socially and education backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments.” की कठोरी से पालन किया जाए।
- 13 अधिगार:
- अधिगार यह युवाओंके भिन्नरण के लिये ही प्रदान किया जायगा। मात्रता प्राप्ति हेतु इन अधिगार नहीं किया जायगा। अड्कारी परेशा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिगार लीका जायगा। यहु सारत प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना। अधिगार यहु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिगार प्राप्त होने पर मात्र सर्व अधिगार यहु विचार नहीं किया जायेगा।
- 13.1 एन सी.सी. / एनएसएस / रकाउट्स
- इन नामों को सोने वाले/साइडर/रकारी/रोकरी के अधीन में पढ़ जावे।
- (i) एनएसएस - एन सी.सी. "ए" सीटिफिकेट 02 प्रतिशत
 - (ii) एनएसएस - एन सी.सी. "बी" सीटिफिकेट 03 प्रतिशत
 - (iii) एनएसएस - एन सी.सी. उत्तीर्ण रकाउट्स 04 प्रतिशत
 - (iv) एनएसएस - एन सी.सी. ग्रियोगिता 04 प्रतिशत
 - (v) एनएसएस - एन सी.सी. ग्राहिताव लेने वाले छात्रों को 05 प्रतिशत
 - (vi) एनएसएस - एन सी.सी. ग्राहिताव परेड में घर्तीरागढ़ के एन सी.सी. एनएसएस कारेनजेस में भाग लेने वाले भैयांसी को 05 प्रतिशत
 - (vii) एनएसएस - रकाउट्स 10 प्रतिशत
 - (viii) एनएसएस - एन सी.सी. ग्राहिताव में भाग लेने 10 प्रतिशत

Signature
प्राचीन
संस्कृत विद्यालय सत्रार्थी शासकीय
विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय

- | | | |
|------|--|--|
| | प्रतिशत अन्य स्थान के मध्य सूचीकरणात्मक प्राप्ति को बढ़ावा देने वाले उपर्युक्त स्थानों में एवं इससे एवं के लिए अन्य स्थानों करने वाले कहुँद को कल्पनायाम
प्रतिशत अन्य स्थान के मध्य सूचीकरणात्मक प्राप्ति को बढ़ावा देने वाले विधायिका को | 15 प्रतिशत |
| 13. | अन्य स्थान के मध्य सूचीकरणात्मक प्राप्ति को बढ़ावा देने वाले विधायिका के रूपान्वयन के बाहरी भौमिक में प्रयोग तथा पर | 10 प्रतिशत |
| 13.3 | (1) अन्य स्थान के मध्य सूचीकरणात्मक / विवर / संगठन प्रतियोगिताएँ -
(i) अन्य स्थान के मध्य सूचीकरणात्मक अथवा उत्तीर्णगढ़ तथा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विनियोग समाज सरकार अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अतर संगम / सरकार प्रतियोगिता में
(ii) अन्य स्थान के मध्य सूचीकरणात्मक अपर्युक्त स्थान प्राप्ति करने वाले तथा
(2) अपर्युक्त विवेत 13.3 (1) में उल्लिखित विभाग / संवालगालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा आरक्षीय विश्वविद्यालय द्वारा एआईयू द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में
(iii) अन्य स्थान के मध्य सूचीकरणात्मक प्राप्ति द्वारा अपर्युक्त स्थान प्राप्ति करने वाले तथा
(iv) अन्य स्थान के मध्य सूचीकरणात्मक अपर्युक्त स्थान प्राप्ति करने वाले विधायिका को
(v) अन्य स्थान के मध्य सूचीकरणात्मक अपर्युक्त स्थान प्राप्ति करने वाले विधायिका को
(vi) अन्य स्थान के मध्य सूचीकरणात्मक अपर्युक्त स्थान प्राप्ति करने वाले विधायिका को
(vii) अन्य स्थान के मध्य सूचीकरणात्मक अपर्युक्त स्थान अंगित करने वाली दीपि को
(viii) अन्य स्थान के मध्य सूचीकरणात्मक अपर्युक्त स्थान अंगित करने वाली दीपि को | 02 प्रतिशत
04 प्रतिशत
10 प्रतिशत
06 प्रतिशत
07 प्रतिशत
05 प्रतिशत
15 प्रतिशत
12 प्रतिशत
10 प्रतिशत |
| 134 | वार्षिक भूज संघर्ष के मध्य सूचीकरणात्मक प्राप्ति के लिए अन्य स्थानों के लिए कल्पनायाम एवं संस्थान विज्ञान / सांख्यिकी / साहित्यिक / कला इत्यादि में विद्यालय एवं प्राचार करने वाले दल के सदस्यों को | 10 प्रतिशत |
| 135 | (i) उत्तीर्णगढ़ विवर के प्रतियोगिता में
(ii) उत्तीर्णगढ़ विवर के प्रतियोगिता में
(iii) उत्तीर्णगढ़ विवर के प्रतियोगिता में
(iv) उत्तीर्णगढ़ विवर के प्रतियोगिता में | 10 प्रतिशत |

59

प्राक्षय
स्व.गी जगदेव सत्यपी शासकीय
महाविद्यालय सना, जि. महाराष्ट्र (छ.ग.)

मैंने इसी दृष्टि पर लगे हुए ही वेतन अनुशासनिक विधि का विवरण दिया है।

कल्पितानुयाय में प्रत्येक सुप्रभावजनक कार्यक्रम स्थानानुसार हो जाने की जिस विधि का उल्लेख किया रखा है वही स्थान के अन्तर्गत स्थान की ओर से उनकी शक्ति का विवरण दिया जाएगा। इसके अन्तर्गत शक्ति का विवरण आवश्यक नहीं है। इसका विवरण शक्ति का विवरण करने के बाहर नहीं हो सकता।

३६ विशेष

- ३६.१ यदि विधि के द्वारा विभिन्न विभागों, विभिन्न विधियों वा प्रतिकूल विधि, प्रशासकीय अधिकारों को विभिन्न विधियों द्वारा विभिन्न विधियों को प्रतिकूल बना दिया गया है, तब वह प्रतिकूल विधि की दायरा व्यापकीय की होगी।
- ३६.२ यदि विधि के द्वारा अनुचित करणे पूर्व अनुमति या सुनाना के द्विगुण लगावार एक वाह विधिक विधि के अनुचित करणे वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरसन करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है।
- ३६.३ यदि विधि के द्वारा विधियों ९२ वा ९३ में वर्णित अनुशासनिकीयों के प्रकरणों के विवरण में विवरण दिया जाए तथा विधियों द्वारा विवरण दिया जाए तो विधियों के अधिकार प्राप्त हो सकता है।
- ३६.४ यदि विधि के द्वारा विद्यार्थी द्वारा विद्यावालय छाड़ने के अवधारणाका विवरण दिया जाए तथा विद्यावालय विधियों की स्थिति में विद्यार्थी को रारक्षण नियम के अतिरिक्त अवधारणा का विवरण दिया जाएगा।
- ३६.५ यदि विधि के द्वारा विद्यार्थी को विद्यावालय छाड़ने के अवधारणा के अतिरिक्त अवधारणा का विवरण दिया जाए तथा विद्यार्थी को विद्यावालय छाड़ने के अवधारणा के अतिरिक्त अवधारणा का विवरण दिया जाएगा।
- ३६.६ यदि विधि के द्वारा विद्यार्थी को विद्यावालय छाड़ने के अवधारणा के अतिरिक्त अवधारणा का विवरण दिया जाए तथा विद्यार्थी को विद्यावालय छाड़ने के अवधारणा के अतिरिक्त अवधारणा का विवरण दिया जाएगा।
- ३६.७ यदि विधि के द्वारा विद्यार्थी को विद्यावालय छाड़ने के अवधारणा के अतिरिक्त अवधारणा का विवरण दिया जाए तथा विद्यार्थी को विद्यावालय छाड़ने के अवधारणा के अतिरिक्त अवधारणा का विवरण दिया जाएगा।

Dr.
प्रबोध
राजेश चतुर्पाठी शासकीय
महाविद्यालय यसना, विधि. महासमुन्द्र च. ११